PWD UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614 Email:-eepwdgauchar@rediffmail.com

पत्रांक– 280 /1 सी० (वन) दिनांक 12/ 2 /2018

सेवा में,

उपवन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय– **प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/12951/2015 गोचर–सिदोली–धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार पर भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियें के निराकरण के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– **आपका ई०डी०एस० दिनांक 12.2.2018 एवं इस कार्यालय के पत्रांक सं० 115/1सी० (वन) दिनांक 17.01. 2018**

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि गौचर–सिदोली–धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार पर लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार कर दिया गया है।

क0स0	प्रश्न	उत्तर
1	Provide Separate component wise break up in B-2.4 as in following way :- a -road b -muck dumping a-	यह बिन्दु पूर्व में ही दिनांक 12.2.2018 के ई०डी०एस० द्वारा लगाई गई आपत्ति के क्रम में दिनांक 17.1.2018 को component wise break up संशोधित कर दिया गया है। संलग्न– 1 component wise break up की छायाप्रति (पेंज नं0 2)
2	In reply to point no. 7, VLC proceedings date of other two villages submitted now are after DM certificate which is not acceptable.	VLC ग्राम स्तरीय समिति मे तीनों ग्रामो (धनपुर, ओब्याग्वाड एवं चर्खिलग्वाड) के प्रपत्रों मे दिनांक 10.02.2015 को हस्ताक्षर किये गये है, जबकि जिलाधिकारी द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र मे दिनांक 10.2.2015 के बाद दिनांक 26.5.2015 को हस्ताक्षर किये गये है। एफ0आर0ए0 की छायाप्रति संलग्न की जा रही है। संलग्न– एफ0आर0ए0 की छायाप्रति। (पेंज नं0 3 से 11)
3	In reply to point no. 12, as per the information regarding tree enumeration in hard copy of the proposal out of 964 trees 737 trees are below diameter 0-10 cm therefore the trees proposed to be felled are 230 but the entry of 255 trees are made in online Part-II, which may be corrected accordingly.	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

भवदीय
(signature) 12/02/18
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

पत्रांक /1सी0 (वन) तद्दिनांक

प्रतिलिपि :– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

Attach 1

Village	Forest Land(in ha.)	Non Forest Land(in ha.)	Delete
Obyagwad	0.39	0	DELETE
Charkhil gwad	0.5	0	DELETE
Dhanpur	1.34	0	DELETE

B-2.4 Component wise breakup (Note:Multiple entries of Component allowed)

Component wise Linear breakup (Note:1Km square=100ha.)

Component*	Forest Land			Non Forest Land			Total
	Length(if any)	Width(if any)	Area	Length(if any)	Width(if any)	Area	
	(km.)	(km.)	(ha.)	(km.)	(km.)	(ha.)	(ha.)

ADD

Component	Length of Forest Land(in Km.)	Width of Forest Land(in Km.)	Forest Land(in ha.)	Length of Non Forest Land(in Km.)	Width of Non Forest Land(in Km.)	Non Forest Land(in ha.)	Delete
obyagwad (van panchayat)	0.515	0.007	0.36	0	0	0	DELETE
Charkhil gwad (van panchayat)	0.671	0.007	0.47	0	0	0	DELETE
Dhanpur (van panchayat)	1.814	0.007	1.27	0	0	0	DELETE
muck disposal at obyagwad x.s. 0/5 to 0/8	0.075	0.004	0.03	0	0	0	DELETE
muck disposal at charkhil gwad x.s. 0/34 to 0/35	0.075	0.004	0.03	0	0	0	DELETE
muck disposal at dhanpur x.s. 1/5 to 1/9	0.1	0.004	0.04	0	0	0	DELETE
muck disposal at dhanpur x.s. 2/6 to 2/9	0.075	0.004	0.03	0	0	0	DELETE

C.Maps of forest land proposed to be diverted (Note:Multiple entries of division wise pathes are allowed.)

Division name * : Select ▼ **Area of forest land to be diverted(in ha.) * :**

Patch/Segment wise details

Select No. of segments* : Select ▼

Upload a copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted *:(.pdf only) Choose File No file chosen

Upload a scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using DGPS or Total Station *:(.pdf only) Choose File No file chosen

ADD

Division Name	Area(in ha.)	Upload a copy of Survey of India Toposheet	Upload a scanned copy of the Geo-referenced map	Delete
Kedarnath Wild Life Division,Gopeshwar	2.23	Uploaded File	Uploaded File	DELETE

BACK SAVE AS DRAFT NEXT

Disclaimer

An innovative e-Governance initiative of MoEFCC for Transparent and Responsive Governance.
For any clarification, kindly contact at(011-24695407 or may send E-Mail monitoring-fc(at)nic(dot)in.)

(2)

FORM-1

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Chamoli

No--- **Dated-**26/05/2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.230 hectares of forest land propose d to be diverted in favour of PWD Gauchar, Uttarakhand for Construction of new motor road "Extension of Gauchar-Sidoli-Dhanpur motor road" in Chamoli district falls within jurisdiction, Obyagwad, Charkhilgwad & Dhanpur village (s) in Karanprayag tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.230 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha 'Obyagwad, Charkhilgwad & Dhanpur ' sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure …to …annexure….

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)
जिलाधिकारी
चमोली

ANNEXURE….

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Chamoli (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Ashok Kumar, I.A.S District Magistrate Chamoli on date 26.5.2015... at time 14:00 Hrs at Gopeshwar in which application claiming rights in Total area measuring 2.230 hect for the construction of "Extension of Gauchar-sidoli-Dhanpur motor road" and forest land 2.230 hect under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Karanpryag sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar
Dated:…………..

District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee
जिलाधिकारी
चमोली

परियोजना का नामः– जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत गौचर–सिदोली मोटर मार्ग का विस्तार के निर्माण हेतु **2.100** है0 वन पंचायत एवं मक डिस्पोजल हेतु **0.130** है0 कुल **2.230**है0 भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी,
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति......कर्णप्रयाग.....

उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत **गौचर–सिदोली मोटर मार्ग** के विस्तार हेतु (आरक्षित वन भूमि ...x..... है0, वन पंचायत भूमि **2.100 हे0**, मक डिस्पोजल हे0 **0.130 हे0** अर्थात कुल **2.230**हे0 वन भूमि) का **अस्थाई** खण्ड,लो0नि0वि0. **गौचर** के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील **कर्णप्रयाग**) की दिनांक 25/3/15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ....विवेक प्रकाश.... उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं।

1– श्री...विवेक प्रकाश... उपजिलाधिकारी, पोखरी अध्यक्ष।
2 श्री......... उप प्रभागीय वनाधिकारी केदानाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर,सदस्य।
3– श्री .... सहायक समाज कल्याण अधिकारी गोपेश्वर सदस्य/सचिव
4– श्रीमती प्रभा देवली बी0डी0सी0 क्षेत्र....पंचायत.................सदस्य

श्रीमती प्रभा देवली
सदस्य
क्षेत्र पंचायत देवल (चमोली)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि गौचर–सिदोली **मोटर मार्ग के विस्तार** निर्माण हेतु **2.230**है0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं हैं। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी,**केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर** द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्यपरम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुये उपखण्डीय माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। इस संबंध में ग्राम/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती हैं।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **कर्णप्रयाग** परिक्षेत्र के अन्तर्गत गौचर–सिदोली **मोटर मार्ग** के विस्तार निर्माण हेतु **2.230**है0 वन भूमि को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–~~पोखरी~~ कर्णप्रयाग
जनपद–चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–~~पोखरी~~ कर्णप्रयाग
जनपद–चमोली

महिपाल सिंह नेगी, सदस्य क्षेत्र पंचायत कनखोली

मालदत्त पुरोहित, सदस्य क्षेत्र पंचायत सिरवाड़ वार्ड

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत गौचर–सिदोली–धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार हेतु 2.100 हे0 वन पंचायत भूमि , एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.130 हे0 कुल भूमि 2.230 हे0 भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– ओब्याग्वाड
तहसील– कर्णप्रयाग
जिला–चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में **राज्य योजना के अन्तर्गत गौचर–सिदोली–धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार हेतु (वन पंचायत भूमि 2.100 हे0 एवं 0.130 हे0 मक डिस्पोजल) कुल 2.230 हे0 वन पंचायत भूमि का** का **अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 गौचर** के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में **ओब्याग्वाड** द्वारा दिनांक 10.02.2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **ओब्याग्वाड** के ग्रामवासियों को उक्त 2.230 हे0 वन पंचायत भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।
प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– जी0बी0 जोशी
ग्राम सचिव ग्राम पंचा0वि0अ0
ग्राम पंचा0 -ओब्याग्वाड
विकास खण्ड-कर्णप्रयाग

ह0/–
ग्राम प्रधान
प्रधान ग्राम पंचायत ओब्याग्वाड
वि0 खं0 कर्णप्रयाग (चमोली)

<u>प्रपत्र–23.1</u>

दिनांक ...10.02.2015........को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत –ओब्याग्वाड

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	[illegible]	[illegible]
(2)	ममता देवी	ममता देवी
(3)	त्रिलोक सिंह	त्रिलोक सिंह
(4)	गीता देवी	गीता देवी
5	गुड्डी देवी	गुड्डी देवी
6		
7	सटेश्वरी देवी	सतेश्वरी देवी
8	धर्म सिंह	धर्म सिंह
9		
9	विक्रम सिंह	विक्रम सिंह
10	विरबल सिंह	विरबल सिंह
11	कमला देवी	कमला देवी
12	विमला देवी	विमला देवी
13	स्याबर सिंह	स्याबर सिंह
14	विजय सिंह	विजय सिंह

[signature]
जी०बी० जोशी
ग्राम पंचा०वि०अधि०
ग्राम पंचा० - [illegible]
विकास खण्ड-कर्णप्रयाग

ह0/–
ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत ओब्याग्वाड
ह०
वि०......
वि.खं. कर्णप्रयाग (चमोली)

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत गौचर–सिदोली–धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार हेतु 2.100 हे0 वन पंचायत भूमि , एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.130 हे0 कुल भूमि 2.230 हे0 भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– धनपुर
तहसील– कर्णप्रयाग
जिला–चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में **राज्य योजना के अन्तर्गत गौचर–सिदोली–धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार हेतु (वन पंचायत भूमि 2.100 हे0 एवं 0.130 हे0 मक डिस्पोजल) कुल 2.230 हे0 वन पंचायत भूमि का** का **अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 गौचर** के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में **धनपुर** द्वारा दिनांक 10.02.2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **धनपुर** के ग्रामवासियों को उक्त 2.230हे0 वन पंचायत भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– जी0बी0 जोशी
ग्राम सचिव ग्राम पंचा0वि0अ0
ग्राम पंचा0 - धनपुर
विकास खण्ड-कर्णप्रयाग

ह0/–
ग्राम प्रधान
प्रधान ग्राम पंचायत
वि.ख. कर्णप्रयाग, चमोली

प्रपत्र–23.1

दिनांक 10.2.2015 ....को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत –धनपुर

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	शीतल सिंह	सितल सिंह
2	बचन सिंह	कचन सिंह
3	हरि शरन सिंह	हरिशरसिंह
4	नवल सिंह	[illegible] सिंह
5	त्रिलोकदयाल सिंह	त्रिलोकदयाल सिंह
6	सुरवीर सिंह	सुरवीर सिंह
7	विनोद सिंह	विनोद सिंह
8	जयपाल	जयपाल
9	धन सिंह	धन सिंह
10	देवेन्द्र सिंह	देवेन्द्र सिंह

जी०बी० जोशी
ग्राम पंचा०वि०अधि
ग्राम पंचा० -- [illegible]
विकास खण्ड-कर्णप्रयाग

ह0/–
ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत [illegible]
ह0........
दि0........
वि०ख० कर्णप्रयाग (चमोली)

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत गौचर–सिदोली–धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार हेतु 2.100 हे0 वन पंचायत भूमि एवं 0.130 हे0 मक डिस्पोजल हेतु कुल 2.230 हे0 वन पंचायत भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– चर्खिल ग्वाड
तहसील– जिला–चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत गौचर–सिदोली–धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार हेतु 2.100 हे0 वन पंचायत भूमि एवं 0.130 हे0 मक डिस्पोजल हेतु कुल 2.230 हे0 वन पंचायत भूमि का **भूमि** का **लोक निर्माण विभाग**/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **चर्खिल ग्वाड** द्वारा दिनांक..10.02.2015.........को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **चर्खिल ग्वाड** के ग्रामवासियों को 2.230 हे0 वन पंचायत भूमि **भूमि का लोक निर्माण विभाग गौचर** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी

सरपच
बन पचायत
ग्राम चरखिल (ग्वाड)

ह0/–
ग्राम प्रधान

प्रपत्र–23.1

दिनांक 10.02.2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत –चर्खिल ग्वाड

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1–	बख्तावर सिंह	[illegible]
2–	राम सिंह	राम सिंह
3–	रामी देवी	रामी देवी
4–	बिजेश्वरी देवी	बिजेश्वरी देवी
5–	मन्दरू देवी	मन्दरू देवी
6–	नरेश सिंह	नरेश सिंह
7–	ज्ञान सिंह	ज्ञान सिंह
8–	बुद्धि सिंह	बुद्धि सिंह
9–	शीला देवी	शीला देवी
10–	जयेन्द्र सिंह	Jayendra
11–	मुनीष	[illegible]
12–	लीला देवी	लीला देवी
13–	माहेश्वरी दे	माहेश्वरी

सरपंच
वन पंचायत
ग्राम चरखिल ग्वाड
मन्दरू देवी

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत